न्यायालय : रंजन कुमार मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश–ग्यारह, दरभंगा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–532/2026

1. अशोक कुमार पे0–सत्यप्रकाश कुमार उर्फ सत्य प्रकाश कुमार रजक, साकिन–चैनपुर, थाना–ढ़ाका जिला–पश्चिमी चंपारण.....आवेदक।

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री दिलीप कुमार साह, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री चमकलाल पंडित, विद्वान लोक अभियोजक।

.....

आदेश

26.05.2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **अशोक कुमार** की ओर से **धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत महिला थाना कांड संख्या 04/2026, अन्तर्गत धारा–85, 115(2), 126(2), 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** जो **विद्वान एस0डी0जे0एम0, दरभंगा** के न्यायालय में लंबित है, में अपनी गिरफ्फतारी की आशंका से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां दाखिल किया है, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री दिलीप कुमार साह** तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक **श्री चमकलाल पंडित** को सुना।

2. अभियोजन वाद का सारांश यह है कि सूचिका नेहा कुमारी की शादी दिनांक 27.01.2022 को अशोक कुमार (आवेदक) से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई। शादी के समय सूचिका के पिता और नाना ने करीब 35–40 लाख रूपया, जेवर, कपड़ा विदाई में खर्च किया और कार के लिए तेरह लाख पचास हजार रूपया नगद अलग से दिया। विदाई के बाद सूचिका अपने ससुराल गई। ससुराल में कार का रूपया सूचिका की सास धनवंतीं देवी, ससुर सत्य प्रकाश रजक और पति ने सूचिका की ननद रानी देवी और नन्दोशी उमेश रजक को दिया। शादी के 7–8 माह के बाद से ही सूचिका के पति अशोक कुमार, ससुर सत्य प्रकाश कुमार रजक, सास–धनवंती देवी, ननद रानी देवी, ननदोई एवं ननदोशी उमेश रजक, ननद प्रियंका कुमारी, सुधा कुमारी, देवर बिट्टू कुमार, अभिषेक कुमार उर्फ विक्की, सूचिका के पति का मामा विग्गु बैठा एवं मामी कंचन देवी ने एक राय होकर जान से मार देने की योजना बनाकर सूचिका को प्रताड़ित करने लगे एवं सूचिका पर दबाव बनाने लगे कि पुनः अपने पिता से पन्द्रह लाख रूपया, गाड़ी एवं पटना में एक फ्लैट खरीदने हेतु मांग करो। सूचिका के द्वारा विरोध करने पर सूचिका के ससुराल वालों ने सूचिका को मारपीट कर खाना पीना बंद कर दिया। इस संबंध में पंचायती हुई। पंचायती के बाद कुछ दिन तक ठीक से रहा। फिर आवेदक सूचिका को लेकर कटिहार गये वहां पर कुछ दिनों के बाद कार के रूपये एवं पटना में एक फ्लैट के लिए पुनः मारपीट किया गया और दिनांक 17.04.2025 को घर से निकाल कर लहेरियासराय स्टेशन पर छोड़ दिया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व किसी अन्य न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त के विरूद्ध

लंबित नहीं है और ना हीं कहीं दाखिल किया गया है। आगे उनका कहना है कि आवेदक के विरूद्ध एक आपराधिक इतिहास समस्तीपुर थाना कांड संख्या 87/2025 धारा 78, 79 बी0एन0एस0 एवं 66सी0 आई0टी एक्ट एवं 12 पॉस्को एक्ट दर्ज है। आगे उनका कहना है कि आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है, क्योंकि आवेदक ने सूचिका द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार किसी भी दहेज की मांग नहीं की है। आगे उनका कहना है कि यह मामला आपसी रंजिश के कारण दर्ज कराया गया है। आगे उनका कहना है कि आवेदक आर0सी0डी0 पुल निगम, गयाजी में कार्यरत हैं और एस0डी0ओ0 के पद पर तैनात है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक दरभंगा आकर सूचिका को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। आगे निवेदन किया कि सूचिका आवेदक की पत्नी है और पति के साथ अपने वैवाहिक घर में नहीं रहना चाहती हैं। आगे उनका कहना है कि आवेदक स्थानीय व्यक्ति हैं और बंधपत्र दाखिल करने हेतु निचली अदालत में तैयार हैं। अंत में आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का निवेदन करते हैं।

4. विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त एवं उसके परिवार पर सूचिका से पन्द्रह लाख रूपया गाडी एवं फलैट खरीदने, मारपीट, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप है। आगे उनका कहना है कि आवेदक अपनी पत्नी को रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि सूचिका आज भी उपस्थित है एवं अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है। अंत में वे अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

5. अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। पक्षकारों को सुना। अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। यह प्राथमिक 85, 115(2), 126(2), 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आवेदक एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त एवं उनके परिवार वालों पर पन्द्रह लाख रूपया गाड़ी एवं फलैट खरीदने के लिए मांगने तथा मारपीट, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप है। कांड दैनिकी में वादी सहित अन्य साक्षियों ने मामले का समर्थन किया है। आवेदक पर सूचिका को दहेज के कारण मारपीट एवं प्रताड़ित करने का स्पष्ट आरोप है। आवेदक पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के है। आवेदक अभियुक्त सूचिका का पति है तथा सूचिका को सम्मानपूर्वक रखने एवं भरण–पोषण करने का पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक पर है। आवेदक के विरूद्ध धारा 35(3) BNSS का नोटिस तामीला कराया गया है। मामला अभी अनुसंधान में है। कंडिका–18 केस दैनिकी में आवेदक के विरूद्ध एक आपराधिक इतिहास दर्ज होना दर्शाया गया है।

6. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त **अशोक कुमार** को अग्रिम जमानत की सुविधा वाद के वर्तमान स्थिति को देखते हुये प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त **अशोक कुमार** का अग्रिम जमानत को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(रंजन कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–XI,
दरभंगा।